न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज०)

केस नंबर 14/2023–24 तारीख दायर :–05.07.2023 निर्णय की तिथि:–28.08.2024

पटवारी हल्का नाथलवाड़ा जरिये तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर राजस्थान।

.....प्रार्थी

बनाम

1. गोरधन पुत्र परसा जाति मीना निवासी ग्राम नाथलवाड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर।
2. कैलाश पुत्र परसा जाति मीना निवासी ग्राम नाथलवाड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर।

.....अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 91, राजस्थान
भू० राजस्व अधिनियम–1956

–::निर्णय::–

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का वृतान्त इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का नाथलवाड़ा द्वारा राजस्व ग्राम नाथलवाड़ा के आराजी खसरा नम्बर 317 रकबा 0.99 हैक्ट० किस्म चारागाह के भाग 0.01 हेक्ट० पर ट्यूबवेल लगाकर अतिक्रमण करने पर गोरधन, कैलाश पि0 परसा जाति मीना निवासी ग्राम नाथलवाड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर द्वारा अतिक्रमण करने की रिपोर्ट सम्वत् 2081 में प्रस्तुत की गई, जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थी को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसकी तामिल विधिवत् होकर प्राप्त हुई। गैरसायलान/अप्रार्थीगण उपस्थित आया नोटिस जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि स्वंय की खातेदारी भूमि वाके ग्राम नाथलवाड़ा के लगते हुए चारागाह भूमि के खसरा नम्बर 317 रकबा 0.01 हेक्ट0 में किया गया। जिसमें विघुत विभाग द्वारा कनेक्शन भी जारी किया गया है। जो कि बुजुर्गान के समय से बोरिंग की हुई है जिसमें सिंचाई योग्य पानी है। जिसे प्रार्थी नियमन अथवा 0.01 हेक्ट0 रकबा स्वंय की खातेदारी भूमि में से देने को तैयार है। अन्त में नोटिस कार्यवाही से मुक्त किये जाने का निवेदन करते हुए बोरिंग नियमन करवाने जाने की कृपा चाही गई है। अतिक्रमी द्वारा 50/– रूपये का शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी स्वेच्छा से अतिक्रमी/अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 318 में से रकबा 0.01 हेक्ट0 भूमि राज्य सरकार के पक्ष में कर दिया जावे एवं चारागाह भूमि के खसरा नम्बर 317 रकबा 0.01 हेक्ट0 भूमि को जिसमें बोरिंग है को नियमन करने की कृपा करने का भी पेश किया है।

पटवारी हल्का सकट के बयान दर्ज किये गये। जिसमें पटवारी हल्का ने अपने बयान में कहा गया है कि आराजी खसरा नम्बर 317 रकबा 0.99 हेक्ट0 किस्म चारागाह मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी वाके ग्राम नाथलवाड़ा में स्थित है। उक्त खसरा नम्बर के खातेदारी खसरा नम्बर 318, 319 के तरफ दक्षिण रकबा 0.01 हेक्ट0 में गै0मु0बोरिंग चालू है। जिसे गोरधन, कैलाश पि0 परसा जाति मीना निवासी ग्राम नाथलवाड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर द्वारा सिंचाई के उपयोग में लिया जा रहा है।

प्रकरण में भू०अ०निरीक्षक के बयान दर्ज किये। भू०अ०नि० द्वारा अपने बयान मे बताया कि आराजी खसरा नम्बर 317 रकबा 0.99 हैक्टेयर किस्म भूमि चारागाह मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी वाके ग्राम नाथलवाड़ा में स्थित है। अतिक्रमी द्वारा उक्त बोरिंग से लगते हुए खातेदारी कृषि भूमि की सिंचाई हेतु उपयोग में लेते है। अतिक्रमीयों के पास उक्त बोरिंग के अलावा सिंचाई का साधन नहीं है। अतिकमियों को उक्त खसरा नम्बर 317 रकबा 0.01 हेक्ट0 का नियमन किया जाना उचित है।

प्रकरण में अतिक्रमी गोवरधन व केलाश पि0 परसा जाति मीना निवासी नाथलवाड़ा के बयान दर्ज किये गये। अपने बयानो मे कहा गया है कि बोरिंग से अपने खेत आराजी खसरा नम्बर 318, 319, 325, 315, 312, 313, 308, 309 की सिंचाई करते है। इस बोरिंग के अलावा अन्य कोई सिंचाई का साधन नही है। आराजी खसरा नम्बर 317 किस्म चारागाह रकबा 0.01 हेक्ट0 की क्षतिपूर्ति खसरा नम्बर 317 से लगते हुए स्वंय/हमारी खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 318 से की जावे। जिससे अप्रार्थीगण/अतिकमियों को कोई ऐतराज व आपत्ति नहीं होगी।

नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)

प्रकरण मे ग्राम पंचायत नाथलवाडा बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर दिनांक 05.07.2024 की छायाप्रति व ग्राम पंचायत नाथलवाड़ा द्वारा जारी अनापत्ति दिनांक 05.07.2024 पेश की गई। प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 318 में से रकबा 0.01 हेक्ट0 भूमि राज्य सरकार के पक्ष में कर दिया जावे एवं चारागाह भूमि के खसरा नम्बर 317 रकबा 0.01 हेक्ट0 भूमि को जिसमें बोरिंग है को नियमन किया जाता है तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे शामिल रिकार्ड का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। अतिक्रमीयों द्वारा अपनी लागत से खोदी गई है तथा उसका उपयोग अपने खेतो की सिंचाई करने में किया जा रहा है। बोरिंग मे सिंचाई योग्य पानी है और अतिक्रमी के पास अपने खेतो की सिंचाई करने हेतु अन्य कोई सिंचाई का संसाधन नही है। क्षेत्र में सिंचाई के साधनो की कमी है। यदि अतिक्रमी को बोरिंग से बेदखल किया जाता है, तो अतिक्रमीयान एक किसान होने के नाते फसल अनाज इत्यादि उत्पादन नहीं कर पायेगा जिसका कृषि मे प्रतिकूल प्रभाव होगा। अतिक्रमीयान राज्य सरकार द्वारा निर्धारत दर अनुसार नियमन राशि जमा कराने को तैयार है। अतः मेरी राय मे अतिक्रमी को बेदखल किया जाना न्योचित नहीं है। अतिक्रमी को सिंचाई कार्य हेतु उक्त बोरिंग अप्रार्थीगण/अतिक्रमियान की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 318 में से रकबा 0.01 हेक्ट0 भूमि राज्य सरकार के पक्ष में कर दिया जावे एवं चारागाह भूमि के खसरा नम्बर 317 रकबा 0.01 हेक्ट0 भूमि को जिसमें बोरिंग है को अप्रार्थीगण/अतिक्रमियों को नियमन करने की अभिशंषा की जाती है। मूल पत्रावली सक्षम अधिकारी श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय राजगढ की सेवा मे प्रेषित की जावे। प्रकरण इस न्यायालय से कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(छोटेलाल मीना)
नायब तहसीलदार
राजगढ़(अलवर)

नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)